GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. *66
TO BE ANSWERED ON 10.02.2025

IMPLEMENTATION OF PM VISHWAKARMA SCHEME IN WEST BENGAL

*66. SHRI SAMIK BHATTACHARYA:

Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) whether Government of West Bengal has failed to form the State and District Monitoring Committees under the PM Vishwakarma Scheme, and the reasons for this delay;
(b) the reasons for not completing registrations in the State of West Bengal despite over 8 lakh applications being submitted, and the steps being taken to address this backlog;
(c) the measures that are being implemented to ensure smooth execution of the scheme in the State of West Bengal, including coordination with the State Government; and
(d) the Ministry's timeline for ensuring full implementation of the scheme in West Bengal, including completing pending registrations and forming monitoring Committees?

ANSWER

MINISTER FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
(SHRI JITAN RAM MANJHI)

(a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) to (d) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION No.*66 DUE FOR ANSWER ON 10.02.2025.

(a) to (c): Government of West Bengal has not constituted the State Monitoring Committee (SMC) and District Implementation Committee (DIC). More than 7.78 lakh applications under PM Vishwakarma have been received through Common Service Centres (CSCs) in West Bengal. As per the Scheme guidelines, these Committees are to be formed by the respective States/UTs for implementation of PM Vishwakarma Scheme. Before successful registration, applications undergo a three-stage verification process, as follows:

Stage 1: Verification at the Gram Panchayat/ULB level.

Stage 2: Vetting and recommendation by the DIC chaired by District Magistrate/Deputy Commissioner/District Collector.

Stage 3: Approval by the Screening Committee at the Central level.

Since the applications have not been verified due to the non-constitution of DIC and SMC, the registration of beneficiaries is affected in West Bengal under PM Vishwakarma.

Ministry of MSME, has requested Government of West Bengal to constitute and notify the SMC and DIC to facilitate the implementation of the Scheme in the State, vide letters dated 21.08.2023, 25.08.2023, 20.09.2023, 01.03.2024 and 05.11.2024.

(d): PM Vishwakarma Scheme has approval for implementation pan India, including in West Bengal, for 5 years, till FY 2027-28 (i.e. 31.03.2028). Prospective beneficiaries can successfully register in PM Vishwakarma after the prescribed verification process to avail the Scheme's benefits.

*****

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *66

उत्तर देने की तारीख : 10.02.2025

पश्चिम बंगाल में पीएम विश्वकर्मा योजना का कार्यान्वयन

***66. श्री सामिक भट्टाचार्य:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत राज्य और जिला निगरानी समितियों का गठन करने में विफल रही है, और इस विलंब के क्या कारण हैं;

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य में 8 लाख से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बावजूद पंजीकरण कार्य के पूरा नहीं होने के क्या कारण हैं, और इस बकाया कार्य को पूर्ण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) राज्य सरकार के साथ समन्वय सहित पश्चिम बंगाल राज्य में उक्त योजना का सुचारू निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) पंजीकरण संबंधी लंबित कार्य को पूरा करने और निगरानी समितियों के गठन सहित पश्चिम बंगाल में उक्त योजना के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री जीतन राम मांझी)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *66, जिसका उत्तर दिनांक 10.02.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग) : पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य निगरानी समिति (एसएमसी) और जिला कार्यान्वयन समिति (डीआईसी) का गठन नहीं किया है। पश्चिम बंगाल में सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा के तहत 7.78 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पीएम विश्वकर्मा स्कीम के कार्यान्वयन के लिए इन समितियों का गठन संबंधित राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाना है। सफल पंजीकरण से पूर्व, आवेदनों को तीन-चरणीय सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो इस प्रकार है:

चरण 1: ग्राम पंचायत/यूएलबी स्तर पर सत्यापन।

चरण 2: जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में डीआईसी द्वारा जांच और अनुशंसा।

चरण 3: केंद्रीय स्तर पर जांच समिति द्वारा अनुमोदन।

चूंकि, डीआईसी और एसएमसी का गठन नहीं होने के कारण आवेदनों का सत्यापन नहीं हो पाया है, इसलिए पश्चिम बंगाल में पीएम विश्वकर्मा के तहत लाभार्थियों का पंजीकरण प्रभावित हो रहा है।

एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 21.08.2023, 25.08.2023, 20.09.2023, 01.03.2024 और 05.11.2024 के पत्रों के माध्यम से पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से राज्य में योजना के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए एसएमसी और डीआईसी का गठन और इसे अधिसूचित करने का अनुरोध किया है।

(घ) : पीएम विश्वकर्मा स्कीम को पश्चिम बंगाल राज्य सहित पूरे भारत में वित्त वर्ष 2027-28 (अर्थात दिनांक 31.03.2028 तक) 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया है। स्कीम का लाभ उठाने के लिए संभावित लाभार्थी निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया के बाद पीएम विश्वकर्मा में सफलतापूर्वक पंजीकरण कर सकते हैं।

*****

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: Thank you, Sir, for giving me the opportunity. सर, केंद्र सरकार ने आम लोगों, गरीबों, वंचितों, महिलाओं, नौजवानों और किसानों के लिए तमाम सेंट्रल स्कीम्स लागू की हैं। इनके कारण लोगों के जीवन में भारी परिवर्तन आया है, परंतु अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने किसी भी केंद्र सरकार की योजना को लागू नहीं किया, केवल इसका नाम बदल दिया। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है - My question is regarding Vishwakarma Scheme - उत्तर में कहा गया है कि DIC और SMC नहीं होने के कारण विश्वकर्मा योजना को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया गया। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? विश्वकर्मा स्कीम के अंतर्गत बहुत सारे गरीब लोग आते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसका कार्य कब होगा?

श्री जीतन राम माँझी : सभापति महोदय, माननीय सांसद महोदय का कथन सौ प्रतिशत सत्य है। इस मामले में पिछले उत्तर में भी देखा गया होगा कि भारत के दो राज्य पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भारत सरकार की जितनी भी स्कीम्स होती हैं, वे उनके प्रति अनिच्छुक होते हैं और उनका implementation नहीं करते हैं। जहां तक इस योजना का सवाल है, इसके संबंध में जैसा कि बताया गया है कि इसकी जांच तीन स्तर पर होती है - एक पंचायत स्तर पर, दूसरी जिला स्तर पर और तीसरी राज्य स्तर पर। ये सारी कमेटीज़ राज्य स्तर के माध्यम से बनाई जाती हैं। राज्य स्तर पर ये कमेटीज़ नहीं बनी हैं। इसमें आवेदन आते हैं, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है, उनका निरीक्षण नहीं हो पाता, मतलब वह आगे प्रोसेस नहीं होता है। माननीय सांसद महोदय ने पूछा कि सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? सभापति जी, इसके लिए हम लोग time without number सरकारों को लिखते हैं।

हमारे सेक्रेटरी, हमारे और जूनियर ऑफिसर्स उस राज्य में जाते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि यह प्राइम मिनिस्टर का विज़न प्रोजेक्ट है और यह गरीबों के लिए है। सर, इस योजना में 18 प्रकार के ट्रेड्स हैं, जो छोटे-छोटे उद्यमियों के लिए हैं। जैसे लोहार हैं, सुनार हैं, बढ़ई हैं, वाशरमेन हैं, इत्यादि, जो गाँवों में पाए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर का यही विज़न है कि बड़ी-बड़ी फैक्टरियों के लिए तो हम लोग कुछ करते हैं, हम उनको पैसा देते हैं, यह सब होता है, लेकिन इन छोटे लोगों को कोई नहीं देखता है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना चलाई गई है और इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। आपको यह सुन कर जरूर संतुष्टि होगी कि जब 5 वर्ष के लिए यह योजना चलाई गई है, तो हम लोग 30 लाख लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास करना चाहते हैं। इसमें other States से बात आ रही है, लेकिन इन दो स्टेट्स से कभी कोई answer नहीं आता, इसलिए हम लोग इन राज्यों में इस योजना का implementation कराने में असमर्थ हैं। इसके लिए बार-बार उनसे अनुरोध किया जाता है, कहा जाता है, इसके बावजूद वे नहीं सुनते हैं, तो यह एक political reason है। इसलिए इसके बारे में क्या किया जाए, यह माननीय सांसद या हिंदुस्तान की माननीय जनता जाने।

MR. CHAIRMAN: Supplementary number two, Shri Samik Bhattacharya. ...*(interruptions)*... Hon. Member, take recourse to the given provision. There is a

provision. Send a slip to me. Please don't get up. Let us maintain decorum. There is a mechanism. Send a slip to me. I look around. If it is coal, I go to coal-bearing areas. I try to balance all parties and States also. Shri Samik Bhattacharya.

SHRI SAMIK BHATTACHARYA: Sir, we have accepted this federal structure. We have accepted a multi-party democracy. If any State Government is totally ignoring or defying this federal system, इसके ऊपर सरकार का क्या कहना है? पश्चिमी बंगाल की गरीब जनता, जो विश्वकर्मा स्कीम से लाभान्वित हो सकती है, उसके लिए हम यही जानना चाहते हैं कि पश्चिमी बंगाल में आने वाले दिनों में विश्वकर्मा स्कीम लागू होगी कि नहीं?

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, ask your supplementary.

श्री सामिक भट्टाचार्य : हमारा यही कहना है। हाँ या न? ...(**व्यवधान**)... .

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, look at me and put the question to the hon. Minister.

श्री सामिक भट्टाचार्य : सर, यह कब होगा? सर, 7,78,000 applications दिए हुए हैं। यह कब होगा? हाँ या न?

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्री जीतन राम माँझी : माननीय सभापति महोदय, अभी वर्तमान में पी एम विश्वकर्मा योजना की गाइडलाइंस में जो प्रावधान है, उसके अनुसार एक त्रि-स्तरीय कमिटी है, वहाँ से ही आवेदन की screening तथा verification होकर इसे आना है। अब यह कहा जा रहा है कि पश्चिमी बंगाल में गरीब लोग हैं, अन्य स्टेट्स में गरीब लोग हैं, जहाँ implementation नहीं हो रहा है। हम इस हाउस को assure करना चाहते हैं कि हम लोग इसके लिए consider करेंगे कि हमारे जो गाइडलाइंस हैं , उस गाइडलाइंस में क्या हम इस त्रि-स्तरीय कमिटी के अलावा इससे अलग कोई कमिटी बना कर अपनी तरफ से वहाँ जाँच करके, आवेदनों को screening तथा verification करके मँगा सकते हैं कि नहीं। महोदय, इस पर सोचना होगा।

MR. CHAIRMAN: Third supplementary, Ms. Dola Sen.

MS. DOLA SEN: Sir, through you, I want to inform the House that the State of West Bengal has the highest number of MSMEs owned by women and it has been appreciated by the concerned Ministry of the Union Government. West Bengal has secured the first prize for the best performance of MSMEs by the concerned Ministry

of the Union Government many times in the last few years. I want to know whether the concerned Ministry of the Union Government is partial or blind to appreciate West Bengal as West Bengal is such a low performer? I want to know this, Sir, through you, from the concerned Minister. Why has the eco-friendly, environment-friendly traditional handloom sector has been excluded by the concerned Ministry of the Union Government from PM Vishwakarma Yojana? Our State Government has already given at least Rs.200 crore towards the artisans of the handloom sector. Why does this scheme exclude the artisans of age more than 60? It is better they follow our Utkarsh Bangla, our Karmasathi, etc., which are getting the first prize for years in national and international arena. Thank you, Sir.

श्री जीतन राम माँझी : सभापति महोदय, मैं इस बात को बार-बार कह रहा हूँ कि 'प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना' के अन्तर्गत जो criteria है, उसमें 3 कमेटियों के माध्यम से ही scrutinize होकर ही आवेदन आते हैं, वे नहीं आ रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... मैंने हाउस को assurance दिया कि अगर कोई राज्य सरकार इस प्रकार से भारत सरकार के नियमों का उल्लंघन करती है, तो in the larger interest of the public, हम लोग इस पर विचार करेंगे कि क्या किया जा सकता है। ...(**व्यवधान**)... महोदय, अब रही वह बात, जो उन्होंने यह कहा कि वस्त्र उद्योग और अन्य उद्योगों के बारे में अच्छा किया है, तो इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना का एक limitation है। हुजूर, उसमें हम लोग खास करके 18 सेक्टर्स में काम करते हैं। कारपेंटर, नाव निर्माण करने वाले, अस्त्रकार, धातु शिल्पीकार, हथौड़ा बनाने वाले, tool kits बनाने वाले, ताला बनाने वाले, goldsmiths, porters, sculptures बनाने वाले, पत्थर तराशने वाले जो लोग हैं, ये सब योजना में हैं। ...(**व्यवधान**)... इस योजना के अन्तर्गत आने वाले को ही इसमें देखेंगे। ...(**व्यवधान**)... बाकी उन्होंने जो वस्त्र उद्योग की बात कही, तो मैं उसके बारे में अलग से सूचना ग्रहण करूँगा और अगर उनको अलग से उसकी जानकारी चाहिए, तो मैं उनको भिजवा दूँगा

MR. CHAIRMAN: Supplementary No.4; Shri R. Girirajan.

SHRI R. GIRIRAJAN: Sir, in this regard, we have a policy decision in Tamil Nadu. Our hon. Chief Minister has written a detailed letter in this regard. This scheme will spoil the poor people; this scheme will spoil the farmers. *...(Interruptions)...* This is no match for Tamil Nadu. We are following social justice. We are uplifting the ground level people to upper level. You are sending them down. *...(Interruptions)...* A barber's son will become a lawyer; a barber's son will become an engineer. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Please ask your supplementary.

SHRI R. GIRIRAJAN: You are giving the opportunity to barber's son to do the barber work. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Your supplementary! ...(*Interruptions*)...

SHRI R. GIRIRAJAN: We are against it. In this matter, our hon. Chief Minister has written a detailed letter. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Girirajanji, your supplementary! ...(*Interruptions*)...

SHRI R. GIRIRAJAN: Yes, Sir, that is what am asking. It is a clarification. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Girirajanji, the issue is: Implementation of PM Vishwakarma scheme in West Bengal. Please confine to it.

SHRI R. GIRIRAJAN: Sir, Minister has mentioned Tamil Nadu. ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति : एक मिनट। माननीय मंत्री जी ने सुलभ तरीके से, विस्तार से जवाब दिया है, परन्तु विषय पर रहना जरूरी है। It is important for us to pose supplementaries to the hon. Minister on the question.

SHRI R. GIRIRAJAN: Hon. Minister has mentioned West Bengal and Tamil Nadu in his reply. In Tamil Nadu, we are opposing this scheme. We have sent a detailed letter to the Ministry.

MR. CHAIRMAN: That is not a supplementary.

SHRI R. GIRIRAJAN: I record my answer. We are not accepting. *...(Interruptions)...* We are not accepting the Vishwakarma scheme in Tamil Nadu. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: It is not a debating platform. *...(Interruptions)...* Hon. Members, I will again appeal to you. A question is important only when supplementaries are asked about the question. If we start diverting and making a statement that we will not have a Central scheme, this House has to debate some day whether national

schemes can really be so ignored. ...*(Interruptions)*... Last supplementary; Shri Mahendra Bhatt.

श्री महेंद्र भट्ट : माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कितने राज्यों ने अभी तक इसको adopt नहीं किया है, यह विषय तो आ गया और दूसरा, अभी तक इस योजना के कुल कितने छोटे और लघु उद्यमियों को लाभ मिला है? क्या उसका राज्यवार कोई ब्योरा सरकार दे पाएगी? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : महेंद्र जी, यह जानकारी तो public space में इतनी ज्यादा है, फिर भी माननीय मंत्री जी, आप बताइए।

श्री जीतन राम माँझी : सभापति महोदय, वैसे तमिलनाडु की बात तो इस प्रश्न में नहीं थी, लेकिन इस प्रश्न के पीछे कुछ ऐसी बातें आई हैं कि भारत सरकार की योजनाओं को लागू करने में वैस्ट बंगाल के साथ-साथ तमिलनाडु भी अनिच्छुक है। ...(**व्यवधान**)...

यह बात सही है कि हम गरीबों के लिए करते हैं, उनके लिए करते हैं, जैसे 'पीएम विश्वकर्मा योजना' है, यह उनके लिए है, जिनको किसी प्रकार से कोई लाभ नहीं मिला है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल में वैसे लोग नहीं हैं? हम उनके लिए करना चाहते हैं, लेकिन लोग वैसा नहीं कर पाते हैं....

श्री सभापति : मेरा मन तो आपको और भी सुनने को कर रहा है, but the House stands adjourned to meet at 2.00 p.m.